

प्रेषक : हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में : मेसर्स एस० ए० ट्रेडर्स,  
आजाद चौक, ताजपुर रोड,  
समस्तीपुर।

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,  
आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए.कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 399/2016 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 09/12/2019 तक मान्य है।

अनुलग्नक :- बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजिन,  
5-12-16

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

झापांक :- 5269 / कृ०, पटना, दिनांक 09/12/2016

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

5.12.16

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।


मेसर्स एस10 ए0 ट्रेडर्स, आजाद चौक, ताजपुर रोड, समस्तीपुर के द्वारा उत्तर प्रदेश, बीज विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा।

दिनांक: 09/12/16

पत्रांक: 5269

LIST OF SEED

SR. NO.	CROP	VARIETIES
1	Paddy	सहभागी, सरजू -52, एम0टी0यू0-1010, एम0 टी0 यू0-7029, स्वर्णा सब-1, नरेन्द्र -2064, नरेन्द्र-8002, पी0 बी0 -1509, राजेन्द्र मंसूरी, सांभा मंसूरी।
2	Wheat	PBW -502, PBW -550, PBW -343, PBW - 443, DBW - 17, DBW - 18, H.D. - 2967, H.D.-2329, U.P. - 2628, U.P. - 2425

  
(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'

(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No. 399/2016 Date 09/12/2016

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri/ मेसर्स एस0 ए0 ट्रेडर्स, आजाद चौक, ताजपुर रोड, समस्तीपुर is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at मेसर्स एस0 ए0 ट्रेडर्स, आजाद चौक, ताजपुर रोड, समस्तीपुर the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
धर्मपुर बाड नं0-2, होल्डिंग नं0-110, खाता सं0-357, खेसरा सं0-664	आजाद चौक, ताजपुर रोड, समस्तीपुर, खाता सं0-500, खेसरा सं0-1632
पूरब - सड़क	पूरब - निजी सड़क
पश्चिम - नैयर इकबाल	पश्चिम - उड मेकर का दुकान
दक्षिण - निजी रास्ता	दक्षिण - नसरुद्दीन अब्दुला
उत्तर - कसीमउद्दीन अब्दुला	उत्तर - सड़क

Date: 09/12/2016

Seal:

09/12/2016/सं/सं. 27/2016

*Handwritten Signature*  
5-12-16  
Licensing Authority  
Director of Agriculture  
Bihar, Patna

TERMS OF CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 09/12/2019 (05 December 2019) Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

सं० 09/उपा0बीज0अनु0-24/2014 6386 /कृ० पटना, दिनांक 17/10/ 2017

प्रेषक :  
हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :  
मेसर्स पैगिया एग्री डवलपमेन्ट कारपोरेशन,  
द्वारा-कृषि सीड सेन्टर,  
फजलगंज, नीयर इण्डेन गैस एजेन्सी,  
सासाराम।

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

सहाय्य :

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए,कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
  2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
  3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
  4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
  5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
  6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 45/2017 संलग्न है।
  7. राज्य के लिए केवल अनुशासित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
  8. पंजीकरण की वैधता तिथि 16/10/2020 तक मान्य है।
  9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- अनुमानक :-बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

17.10.17

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6386 /कृ०, पटना, दिनांक 17/10/ 2017

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई02टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-केल करने हेतु प्रेषित।

de

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

17.10.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

गेसरत पैगिया एग्री डवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा राज्य में निम्न प्रभदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: 6386

दिनांक: 17/10/2017

LIST OF SEEDS


SR. NO.	CROP	VARIETIES
1	Wheat	PBW-343, PBW-373, PBW-502, PBW-154, PBW-550, HD-2967, DBW-17, UP-2572, UP-262, RR-21

कृषि निदेशालय के ज्ञापंक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की विक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

*(हिमांशु कुमार राय)*  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।  
17.10.17

0/c

*(Handwritten signature)*



FORM 'B'

(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No 45/2017 Date 17/10/2017

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स पैगिया एगो डवलपमेन्ट कारपोरेशन, द्वारा-कृषि सीड सेन्टर, नीयर इन्डेन गैस एजेन्सी, सासाराम is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at मेसर्स पैगिया एगो डवलपमेन्ट कारपोरेशन, द्वारा-कृषि सीड सेन्टर, फजलगंज, नीयर इन्डेन गैस एजेन्सी, सासाराम the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स पैगिया एगो डवलपमेन्ट कारपोरेशन, द्वारा-कृषि सीड सेन्टर, नीयर इन्डेन गैस एजेन्सी, सासाराम, खाता नं०-04, प्लॉट नं०-577, रकवा-1600 वर्गफीट	मेसर्स पैगिया एगो डवलपमेन्ट कारपोरेशन, द्वारा-कृषि सीड सेन्टर, नीयर इन्डेन गैस एजेन्सी, सासाराम, खाता नं०-04, प्लॉट नं०-577, रकवा-1600 वर्गफीट
पूरब - खाली मैदान	पूरब - खाली मैदान
पश्चिम- मकान हीरा साव	पश्चिम- मकान हीरा साव
दक्षिण- मकान मदन सिंह	दक्षिण- मकान मदन सिंह
उत्तर - जी०टी० रोड	उत्तर - जी०टी० रोड

Date :

Seal :

Licensing Authority  
Director of Agriculture

Licensing Authority  
Director of Agriculture

Bihar, Patna,

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 16/10/2020 Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

De  
Sinh 30/ 2017